

कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा), बिहार
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना - 800 001



Office of The Principal Accountant General
(Audit), Bihar
Birchand Patel Marg, Patna - 800 001

**2025-26 की 2nd तिमाही के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु यात्रा कार्यक्रम
Team No - CA/10 (AMG-I)**

Name of Team members -

1. Shri Pankaj Kumar Sharma, SAO
2. Shri Mrityunjay Kumar, AAO (up to 23.08.2025)
3. Shri Kaushal Kishore, AAO (w.e.f. 30.07.2025)
4. Shri Govind Kumar, AAO (w.e.f. 30.07.2025)
5. Shri Pankaj Kumar, AAO (w.e.f. date of joining)
6. Shri Rishikant Singh, AAO
7. Shri Ram Sagar Kumar, Sr. Auditor

| Sl. No. | Name of the audit entity | Risk Cat. | Last audit conducted | Duration of Program | | Number of working days | Remarks |
|---------|--------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------|------------------------|---|
| | | | | From | To | | |
| 1. | Patna Nagar Nigam | High | Mar-23 | 14.07.25 | 24.10.25 | 80 | Sun-20/07, 27/10, 03/08, 10/08, 17/08, 24/08, 31/08, 07/09, 14/09, 21/09, 28/09, 05/10, 12/10, 19/10 Holiday-15/08, 16/08, 05/09, 29/09, 30/09, 01/10, 02/10, 22/10, 23/10 |

Attached to Headquarter- 27.10.2025

अनुदेश/ Instructions:

1. लेखापरीक्षा दल को मुख्यालय के पत्र संख्या 179/LB/Development of Key questionnaire/120/2022 दिनांक 20.12.2022, पत्र संख्या 194/LB/Development of Key question/120/2022 दिनांक 29.12.2022 और पत्र संख्या 28/LB/68/augmenting LB Audit/2021 दिनांक 30.05.2023 में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

The audit team should adhere to the instructions laid out in Hqrs' letter no.179/LB/Development of Key questionnaire/120/2022 dated 20.12.2022, letter No.194/LB/Development of Key question/120/2022 dated 29.12.2022 and letter no.28/LB/68/augmenting LB Audit/2021 dated 30.05.2023.

2. लेखापरीक्षा दल को टीजीएस सेल पत्र संख्या दिना 408क और 2023.09.18स्केध आदेश संख्या AMG-I(HQ)/49 दिनांक के माध्यम से प्रसारित बैठक के कार्यवृत्त के माध्यम से जारी 2023.11.07 निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए, जिसमें बिंदु संख्या को छोड़कर बिंदु संख्या 1 से 7 पर विशेष 2 ध्यान दिया जाना चाहिए।

The audit team should comply with the instructions issued through minutes of the meeting circulated vide TGS cell letter no. 408 dated 18.09.2023 & wing order no. AMG-I(HQ)/49 dated 07.11.2023 with special attention to point no. 1 to

7 except 2.

3. 12वीं अनुसूची के क्रम संख्या 6 में सूचीबद्ध कार्य: 2025-26 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के कार्य-आधारित लेखापरीक्षा हेतु जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजना बनाई गई है। लेखापरीक्षा दल को इस संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) कार्यालय/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

Function listed at sl. no. 6 of 12th Schedule: Public health, sanitation conservancy and solid waste management has been planned for function-based audit of ULBs conducted during 2025-26. The audit team should follow instructions issued by the CAG office/this office in this regard.

4. लेखापरीक्षा दल को दो (02) गतिविधियों की पहचान करनी होगी (ऊपर से नीचे तक दृष्टिकोण अपनाते हुए) जिन पर दीर्घ मसौदा अनुच्छेदों (एलडीपी) पर काम किया जा सके। गतिविधियों की पहचान के बाद, संबंधित टीम द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों का मूल्यांकन और समय पर मांग की जानी है। टीम को प्रमुख जोखिम क्षेत्रों, नियोजन की खामियों, निधि प्रवाह व्यवस्था, लक्ष्य-प्राप्ति, कार्यान्वयन की स्थिति, संभावित निष्कर्षों आदि को शामिल करते हुए चयनित गतिविधियों पर पीपीटी तैयार करनी होगी और शीर्ष इकाई की लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले उसे प्रस्तुत करना होगा।

The team is required to identify two (02) activities (while pursuing top-bottom approach) on which long draft paras (LDPs) may be processed. After identification of activities, assessment & timely requisition of all necessary documents required to be done by the team concerned. The team is required to make PPT on selected activities while incorporating major risk areas, lapses of planning, fund-flow arrangements, target- achievement, status of implementation, probable findings etc. & submit the same before commencement of audit of apex unit.

5. लेखापरीक्षा दल को संबंधित इकाई की लेखापरीक्षा प्रारंभ होने के दो कार्यदिवसों के भीतर डेस्क समीक्षा तैयार कर प्रस्तुत करनी होगी।

The audit team will prepare and submit the Desk Review of Nagar Nigam within two working days of start of audit of particular unit.

6. वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2026-27 के लिए उचित जोखिम विश्लेषण के पश्चात PA/SSCA के लिए संभावित विषयों की feasibility report प्रस्तुत करने हेतु लेखापरीक्षा दल प्रारंभिक कार्य प्रारंभ करेगा। दल द्वितीय तिमाही लेखापरीक्षा कार्यक्रम के पूर्ण होने के पश्चात feasibility report AMG-I (मुख्यालय) अनुभाग को अलग से प्रस्तुत करेंगे।

The audit team will start the preparatory work for submission of the feasibility report of potential topics for PA/SSCA after proper risk analysis for Annual Audit Plan 2026-27. The said feasibility report may be submitted by the team separately to AMG-I (HQ) section after completion of 2nd quarter audit programme.

7. दल को स्कंध आदेश संख्या 05 - दिनांक 05.06.2025 के अनुसार Key Result Area का पालन करना होगा।

The team should follow and adhere the Key Result Area as circulated vide wing order no. 05 dated 05.06.2025.

8. लेखापरीक्षा दल द्वारा योजनाओं के चयन/समीक्षा के बाद ही संयुक्त भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए

और भौतिक सत्यापन का अंतिम प्रतिवेदन, संबंधित तस्वीरों सहित, संबंधित मसौदा निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

The joint physical verification should be done only after selection/review of schemes by the audit team and the final report on physical verification along with concerned photographs should be submitted with the concerned Draft Inspection Reports.

9. लेखापरीक्षा दल को मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से OIOS प्लेटफॉर्म पर अनुपालन लेखापरीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

The audit team is directed to conduct compliance audit on OIOS platform mandatorily as per headquarter instructions.

10. लेखापरीक्षा दल को होटल में ठहरने और TA दावों के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या Misc/TA/CA-529 दिनांक 01.03.2023 का अनुपालन करना चाहिए।

The audit team should comply the O.O. No. Misc/TA/CA-529 dated 01.03.2023 regarding stay at Hotel & TA claims.

11. लेखापरीक्षा दल को निर्देश दिया जाता है कि वे शिकायत मामलों/मीडिया रिपोर्टों (प्रेस क्लिपिंग) की अनुपालन रिपोर्ट, जो टीम को सौंपी गई हो या कार्यालय के दाईं ओर रिबन पर 'सत्यापन के लिए आइटम' ध्वज पर दिखाई गई हो, यदि कोई हो, मुख्यालय अनुभाग (AMG-I) को अलग से प्रस्तुत करें।

The Audit team is directed to submit compliance report of complaint cases/media reports press clippings) handed over to the team or shown at 'Items for Verification' flag at right side ribbon of OIOS, if any, to the headquarter section (AMG-I) separately.

12. लेखापरीक्षा दल को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रत्येक सप्ताह मुख्यालय आएंगे, यदि लेखापरीक्षित इकाई स्थल मुख्यालय से 150 किमी से कम की दूरी पर हो (यह लागू नहीं होता है जहां लेखापरीक्षा दल का भोजन/आवास सर्किट हाउस/गेस्ट हाउस/निरीक्षण बंगले, मेस आदि में हो) {प्राधिकरण द्वारा मुख्यालय पत्र संख्या 3368/BRS/2012 दिनांक 27 जून 2012}।

Field team is directed to come on Headquarter on every weekend from place of auditee units at a distance of less than 150 km from headquarter (not applicable where boarding/lodging of Audit Team is in circuit house/ guest house/inspection bungalows, messes etc.) {Authority vide Hqr. Letter No. 3368/BRS/2012 dated 27th June 2012}.

13. लेखापरीक्षा दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त एवं प्रासंगिक अवलोकनों के साथ पर्याप्त और प्रासंगिक कुंजी दस्तावेज संलग्न हों और उनका संदर्भ उचित रूप से दिया गया हो।

The audit team should be ensured that sufficient and relevant KDs are attached with the observations and referencing of them done properly.

14. लेखापरीक्षा समाप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर प्रारूप निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्रारूप निरीक्षण प्रतिवेदन पर लेखापरीक्षित इकाइयों और उनके नियंत्रण अधिकारियों की ई-मेल आईडी अंकित होनी चाहिए।

Draft IRs must be submitted within 07 working days from the date of completion of audit. E-mail Id of auditee units and their controlling officers should be mentioned on draft IRs.

15. लेखापरीक्षा दल को संबंधित संवीक्षा अनुभागों से बकाया पुराने निरीक्षण प्रतिवेदन एकत्र करने चाहिए और इकाइयों से उत्तर प्राप्त करने के बाद समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

The audit team should collect outstanding old IRs from concerned vetting sections and submit review report after obtaining reply from the units.

16. कार्य की अनिवार्यता/गंभीरता और उचित औचित्य के बिना, यात्रा कार्यक्रम में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।

No extension in tour programme will be granted except in case of exigency/seriousness of work and without proper justification.

17. लेखापरीक्षा दल को लेखापरीक्षित इकाई द्वारा संधारित बचत खातों/चालू खातों और पीडीए/पीएलए के बैंक विवरण सहित रोकड़ पंजी की जांच करने का निर्देश दिया जाता है। इस संबंध में, दल संबंधित बैंकों से प्रमाणित बैंक विवरणी एकत्र करेगा।

The audit team is directed to scrutiny the Cash Book with bank details of savings accounts/current accounts and PDA/PLA maintained by auditee unit. In this regard, the team will collect the certified bank statement from concerned banks.

18. लेखापरीक्षा दल को पिछले तीन वर्षों के संबंधित सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी, उनके आवंटन और व्यय के साथ एकत्रित करनी चाहिए और उसे AMG-I (मुख्यालय) को प्रस्तुत करना चाहिए।

The audit team should collect the information of all types of schemes with their allotment and expenditure pertaining to the last 3 years and submit the same to AMG-I (Hq).

19. लेखापरीक्षा दल को इलाहाबाद मॉडल के अनुसार प्रारूप निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ 18 प्रोफार्मा प्रस्तुत करना चाहिए।

The Audit team should submit 18 proforma as per Allahabad Model alongwith DIR.

20. लेखापरीक्षा दल, विंग आदेश Tr.No373. दिनांक 24.07.2023 के अनुसार, OIOS Toolkit पर लेखापरीक्षित इकाई की IT प्रणालियों के बारे में जानकारी को अद्यतन/अपलोड करना सुनिश्चित करेगा।

The Audit team will ensure updation/uploading of the information about IT Systems of audited entity on OIOS toolkits as per wing order Tr. No. 373 dated 24.07.2023.

उप महालेखाकार (ए.एम.जी-1)

ए.एम.जी.-1 (मु.)/2nd तिमाही यात्रा कार्यक्रम/2025-26/798-10803 दिनांक:- 28.08.2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का सचिवालय
2. उप महालेखाकार/ ए.एम.जी.-1 का सचिवालय (ईमेल के माध्यम से)
3. व.ले.प.अ./दावा/ए.एम.एस/पी.पी.जी (ईमेल के माध्यम से)
4. सम्बंधित व्यक्ति (ईमेल के माध्यम से)

Digitally signed by
Kumar Bhushan
Date: 28-08-2025
16:46:48

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम.जी.-1 (मु.)